मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल

(उप नियम)

(1) नाम, पता एवं कार्यक्षेत्र

1. इस संस्था का नाम मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित होगा । जिसे अंग्रेजी में M.P. State Minor Forest Produce (Trading and Development) Co-Operative Federation Ltd. Bhopal कहेंगे । इसे संक्षिप्त में वनोपज संघ कहा जावेगा तथा आगे (संघ) के नाम से संबोधित किया जायेगा।

(2) संघ का पंजीकृत पता– मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, खेल परिसर, 74 बंगले, भोपाल, रहेगा ।

टीप– पंजीकृत पते में कोई भी परिवर्तन 30 दिनों में रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, शासन को सूचित किया जावेगा । साथ ही कम से कम एक स्थानीय समाचार पत्र में भी प्रकाशित कराया जायेगा ।

(3) संघ के समस्त कागजातों पर संघ के नाम के साथ–साथ पंजीयन कमांक तथा 'म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम–1960 के अधीन रजिस्ट्रीकृत' सुवाच्य अक्षरों में सहजगोचर स्थान पर लिखा जावेगा।

(4) संघ का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा

(2) परिभाषाएं :–

यदि असंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इन उपविधियों में –

(1) संघ/वनोपज संघ से तात्पर्य मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित से है।

(2) संचालक मंडल से तात्पर्य इन उपविधियों के प्रावधानों के अंतर्गत बने संचालक मंडल से है ।

(3) अध्यक्ष से तात्पर्य संघ के अध्यक्ष से है।

(4) अधिनियम से तात्पर्य म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 से है ।

(5) नियम से तात्पर्य मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 से है ।

(6) रजिस्ट्रार से तात्पर्य मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 में परिभाषित किए अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, मध्यप्रदेश से होगा ।

(7) प्रबंध संचालक से तात्पर्य उपनियमों के अनुसार नियुक्त संघ के प्रबंध संचालक से है, जो कि संघ का मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी होगा ।

(8) सचिव से तात्पर्य उपनियमों के अनुसार नियुक्त संघ के सचिव से होगा ।

(9) सदस्य / सदस्य संस्था से तात्पर्य संघ में उपनियमों के अनुसार बनाये गये सदस्यों से होगा ।

(10) शासन से तात्पर्य मध्यप्रदेश राज्य शासन से होगा ।

(11) 'प्रतिनिधि' से अभिप्रेत है संघ का ऐसा सदस्य जो संघ का प्रतिनिधित्व अन्य सोसायटी में करे एवं जिसे संचालक मंडल द्वारा निर्वाचित किया गया हो ।

(12) 'विनिर्दिष्ट' पद से अभिप्रेत है अध्यक्ष या सभापति और उपाध्यक्ष या उप सभापति का पद ।

(13) **'मुख्य कार्यपालन अधिकारी' से अभिप्रेत है कि धारा 49 (ई) के अधीन राज्य शासन द्वारा नियुक्त किए गये भारतीय वन सेवा के अपर 'प्रधान मुख्य वनसंरक्षक स्तर से अनिम्नश्रेणी का अधिकारी जो संघ का प्रबंध संचालक होगा एवं जिसे संघ के संचालक मंडल के अधीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन के अधीन रहते हुए संघ के कार्यकलापों का प्रबंध सौंपा गया है ।**

(14) **सचिव– से अभिप्रेत है, संघ में सचिव पद पर पदस्थ अपर पंजीयक एवं अपर आयुक्त / संयुक्त पंजीयक एवं संयुक्त आयुक्त सहकारिता स्तर का अधिकारी**

(15) **"प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है धारा 57–ग की उपधारा (1) के अधीन गठित म॰प्र॰ राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी ।

(3) उद्देश्य–

(1) राष्ट्रीयकृत वनोपज के व्यापार से ठेकेदारी प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कराना, आदिवासी एवं ग्रामीणों को उनके संग्रहण का उचित पारिश्रमिक दिलवाना और संग्रहण का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से कराना ।

(2) वनोपज / कृषि उपज जैसे रमतिल्ला, जगनी, कोदो, कुटकी इत्यादि के उत्पादन, संकलन, प्रक्रिया तथा अनुसंधान व विकास की विभिन्न गतिविधियों को सहकारी आधार पर संगठित करना तथा क्रय–विक्रय एवं वितरण की ऐसी व्यवस्था करना जिससे कि सदस्यों को सर्वोत्तम लाभ मिल सके । प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्थाओं के माध्यम से अराष्ट्रीयकृत वनोपज के व्यवसाय में मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करना ।

(3) उपरोक्त वर्णित उद्देश्यों तथा सदस्यों के वित्तीय एवं आर्थिक सामाजिक उत्थान हेतु संघ द्वारा निम्न कार्य किये जा सकेंगे :–

1. सदस्यों के हितों को प्रभावित किये बगैर सदस्यों अथवा अन्य स्रोतों से स्थानीय उत्पादित वनोपज का क्रय, एकत्रण, परिवहन, भण्डारण, श्रेणीकरण, प्रक्रिया, निर्माण, वितरण एवं विपणन करना ।

2. आवश्यकतानुसार कच्चा माल, उसके प्रक्रिया, अवरण (पैकेजिंग) संबंधी सामान आदि क्रय करना और / या क्रय करने में सहयोग देना, उनका निर्माण करना या इस हेतु किसी से सहयोग (कोलैबोरेट) करना ।

3. भवन, गोदाम, प्लांट, मशीन और अन्य सम्पत्ति क्रय करना, लेना, अथवा किराये पर देना ।

4. अधिनियम व नियमों में वर्णित प्रावधान के अधीन संघ के व्यवसाय सम्पादन हेतु चल व अचल सम्पत्ति का स्वामित्व ग्रहण करना या प्राप्त करना या लीज पर लेना तथा जब संघ के व्यवसाय हेतु आवश्यक न रह जाये तो उनका निकाल करना / बेचना ।

5. सदस्य सहकारी संस्थाओं का [illegible] एवं विकास करना, सदस्यों के अनुरोध पर अथवा रजिस्ट्रार द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने पर उनका पूर्ण या आंशिक [illegible] प्रबंध करना ।

6. सदस्यों को वस्तुओं के उत्पादन वृद्धि हेतु उपाय सुझाव व उनके क्रियान्वयन हेतु सहयोग देना तथा अन्य तकनीकी सेवायें/सुविधायें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वयं अथवा किसी मान्य एजेंसी/संस्था के माध्यम से उपलब्ध कराना या उसकी व्यवस्था करना ।

7. सदस्यों को प्रबंध, पर्यवेक्षण एवं अंकेक्षण के सभी पहलुओं पर सलाह, सहयोग, मार्गदर्शन एवं नियंत्रण सुलभ करना तथा इस हेतु फीस निर्धारित कर उसकी वसूली करना ।

8. सदस्यों को प्रबंध, वित्तीय, तकनीकी, प्रशासनिक विधिक तथा अन्य आवश्यक सहयोग व सलाह उपलब्ध कराना ।

9. अपने उत्पादन का स्वयं के या अन्य ट्रेडमार्क/ब्रांड के नाम से विपणन करना ।

10. कच्ची प्रक्रिया द्वारा तैयार किए हुए वस्तुओं का आयात/निर्यात करना ।

11. स्वयं अथवा दूसरों के लिये वस्तुओं के क्लियरेंस भाड़ा, अग्रेषण, यातायात तथा भण्डारण का काम करना ।

12. गुण नियंत्रण सुविधाओं की स्थापना तथा वस्तुओं के लिये गुणों के मापदण्डों को प्रस्तावित करना/क्रियान्वित करना ।

13. सदस्यों के विकास के कार्यक्रमों का अध्ययन करना और/अथवा प्रत्यक्ष रूप से अथवा स्वीकृत एसोसिएशन (संघ) के माध्यम से सहयोग देना ।

14. ट्रस्ट बनाना तथा अपने कर्मचारियों के लाभार्थ तथा सहयोग एवं सहायतार्थ निधि (फंड) बनाना ।

15. शासन की सहायता अथवा बिना सहायता के अपने कर्मचारियों के लिये रिहायशी भवनों की योजना चालू करना ।

16. स्वतंत्र अस्तित्व वाली शोध तथा विकास संस्था की स्थापना करना और उस संस्था का निधियों में योगदान देना और उसके लिये सदस्यों तथा अन्य से धनराशि एकत्रित करना ।

17. बचत योजनाओं को संगठित एवं प्रोत्साहित करना ।

18. सहकारी सिद्धान्तों का प्रचार करना तथा सदस्यों में सहकारी ज्ञान, विशेष रूप से व्यापार संबंधी ज्ञान उपलब्ध कराना ।

19. संघ की सभी चल तथा अचल वस्तुओं का सभी प्रकार के खतरों से बीमा करना ।

20. संघ एवं सदस्यों के लिए एजेन्सी बेसिस पर सामान्य बीमों एवं अन्य बीमें का कार्य करना ।

21. सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य सेवाएं उपलब्ध कराना ।

22. संघ तथा सदस्यों के कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।

23. विपणन संबंधी गतिविधियों को संगठित करना जिस क्षेत्र में आधारभूत वस्तुओं के उत्पादन एवं किस्म के विकास के संबंध में सलाह एवं मार्गदर्शन देना भी सम्मिलित है।

24. प्रदर्शन प्रक्षेत्र बीज पार्क, अनुसंधान केन्द्रों आदि का स्वामित्व ग्रहण करना, उनका प्रबंध करना, संचालन करना एवं सहयोग देना ।

25. शाखा कार्यालयों एवं बिक्री केन्द्रों की स्थापना करना ।

26. रजिस्ट्रार की स्वीकृति से राज्य में एवं अन्य राज्यों में शाखाएं, एवं डिपो की स्थापना करना ।

27. प्रत्यक्ष अथवा किसी मान्य एजेन्सी/संस्था के माध्यम से ग्रामीण विकास की गतिविधियां चालू करना ।

28. सदस्यों के सामान्य हितों से संबंधित तथा उनमें आगे सुधार हेतु समस्त शिकायतों का निराकरण करना ।

29. शासन और अन्य राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं, संगठनों से अनुबंध करना और उनका निष्पादन करना ।

30. व्यवसाय के लिये आवश्यक होने पर विभिन्न सहकारी एवं अन्य संस्थाओं के अंश खरीदना ।

31. कृषि उपज, वनोपज एवं अन्य वस्तुओं के सहकारी विपणन को प्रोत्साहन हेतु सदस्यों को संचालक मंडल द्वारा निर्धारित की गई शर्तों या प्रतिभूति पर नगद एवं वस्तुओं के रूप में ऋण या अग्रिम प्रदान करना ।

32. सहकारी बैंकों, राज्य शासन, रिजर्व बैंक आफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या उसके सहायक बैंकों से, खादी और ग्रामोद्योग आयोग से तथा रजिस्ट्रार की स्वीकृति से अन्य किसी भी वित्तीय संस्था से प्रतिभूतियों पर या अन्य प्रकार ऋण प्राप्त करना ।

33. रजिस्ट्रार की स्वीकृति से सदस्यों/सदस्य संस्थाओं से अमानत प्राप्त करना ।

34. राज्य शासन से तथा पंजीयक की स्वीकृति से अन्य पक्षों से अनुदान एवं दान स्वीकार करना ।

35. रजिस्ट्रार द्वारा अधिनियम के अंतर्गत नियम में निर्दिष्ट और निर्धारित किये अनुसार चन्दा देना तथा पंजीयक के अनुमोदन से छात्रवृत्ति पुरस्कार नगद पुरस्कार देना तथा यात्रा संबंधी एवं अन्य प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना ।

36. विपणन वार्ता प्रसारण तथा इस हेतु समाचार पत्र विज्ञप्ति एवं अन्य साहित्य का प्रकाशन करना ।

37. राज्य शासन की इच्छा अनुसार अन्य व्यवसाय लेना ।

38. सदस्य समितियों के गैर साख कार्यक्रमों में सहयोग देना एवं उनके व्यापार बढ़ाने में आवश्यक सहायता एवं मार्गदर्शन देना व उनकी गतिविधियों का नियंत्रण, समन्वय एवं संगठन करना ।

39. सदस्य समितियों को उनकी कच्ची अथवा प्रकिया की हुई उपज के तारण पर ऋण देना ।

40. ऐसे समस्त कार्य करना जो उपरोक्त उद्देश्यों के सम्पादन तथा पूर्ति के लिये एवं संस्था के व्यवसाय के विकास एवं प्रगति के लिये प्रासंगिक और सहायक हो ।

41. सहकारी सिद्धान्तों का पालन हो, इसके सुरक्षा उपाय करना ।

42. सहकारी सोसायटियों को संप्रवर्तित करना और इस प्रयोजन के लिये आदर्श उपविधियां विचरित करना और सोसायटियों के विचारण हेतु विभिन्न विनियम और नीतियां बनाने के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाना ।

43. अनुसंधान और मूल्यांकन करना तथा सदस्य सोसायटियों के लिये भावी विकास योजनाओं को तैयार करने में सहायता करना ।

44. सदस्य सोसायटियों के बीच सामंजस्य पूर्ण संबंध विकसित करना ।

45. सदस्य सोसायटियों के हितों का प्रतिनिधित्व करना और सोसायटियों के अनुकूल नीतियों और विधान के लिये अभिमत प्राप्त करने के प्रयास करना ।

46. अपने सदस्यों की ओर से कारोबारी सेवाएं हाथ में लेना ।

47. संघ द्वारा आयोजित सम्मेलनों में, जिनमें सदस्य सोसायटियां आमंत्रित की जाती हैं, भाग लेने के साथ ही सदस्य सोसायटियों को सहयोग एवं प्रबंधकीय विकास संबंधी सेवाओं के साथ सहकारी अधिनियम की धारा 47 (ए) में वर्णित कृत्यों का पालन करेगी ।

48. सदस्य सोसायटियों में यथा समय वार्षिक संपरीक्षा का संचालन सुनिश्चित करना ।

49. सदस्य सोसायटियों के यथा समय निर्वाचन का संचालन सुनिश्चित करना ।
50. सदस्य सोसायटियों के साधारण सम्मेलनों में नियमित संचालन हेतु सहायता करना
51. सदस्य सोसायटियों के हित में कोई भी अन्य सेवा प्रदान करना
52. प्राथमिक वनोपज संस्थाओं के माध्यम से कोसा ककून संग्रहण के संबंध में आवश्यक व्यवस्था करना ।
53. अराष्ट्रीयकृत वनोपज से संबंधित कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना, यंत्र/उपकरण क्रय करना, प्रदाय करना, प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था करना तथा उत्पादित वस्तुओं के विपणन की व्यवस्था करना ।
54. संग्राहकों एवं वन वासियों के सामाजिक, शैक्षिण एवं आर्थिक उत्थान हेतु योजना बनाना एवं क्रियान्वित करना ।
55. वनक्षेत्र एवं कृषि क्षेत्रों में उत्पादित होने वाली औषधि महत्व की जड़ी बूटियां एवं सुगंधित पौधे तथा आयुर्वेदिक महत्व के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कार्य करना, उसके संग्रहण, प्रसंस्करण, विपणन, अनुसंधान के कार्य स्वंय करना, सदस्य संस्थाओं के माध्यम से करना तथा म.प्र.शासन एवं केन्द्र शासन की तत्सम्बधी योजनाओं का क्रियान्वयन करना ।
56. सदस्य रागितियों के सदस्यों को रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना ।
57. संघ के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक अन्य सभी कार्य करना ।

(4) पूंजी एवं निधियां–

(1) संघ की पूंजी एवं निधियां निम्न लिखित साधनों द्वारा बनेगी :–

1. अंशपूंजी
2. ऋण पत्र
3. अमानतें (सदस्यों से)
4. ऋण राज्य शासन/केन्द्र शासन से या म. प्र. राज्य सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, नाबार्ड एवं अन्य स्त्रोतों से ।
5. दान, अनुदान एवं राहायता (सदस्यों व असदस्यों से)
6. प्रवेश शुल्क
7. रक्षित निधि एवं अन्य निधियां

(2) संघ की अधिकृत पूंजी रूपये 100 करोड़ होगी जो कि रूपये 1000/– के दस लाख अंशों में विभाजित होगी– आवेंटन पर संपूर्ण अंश राशि एक मुश्त जमा करनी होगी । ——— भुगतान हेतु संचालक मंडल किश्तों की सुविधा दे सकेगा ।

(3) संघ द्वारा ऋण पत्र अमानत एवं ऋण के रूप में प्राप्त राशि अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अनुरूप प्रदत्त अंशपूंजी तथा रक्षित निधि एवं अन्य निधियों के योग में से संकलित हानि कम करने के पश्चात् शेष राशि की बारह गुणा से अधिक नहीं होगी ।

(5) सदस्यता :–

(1) साधारण सदस्य–

(अ) वनोपज संग्रहण, विपणन प्रकिया, भंडारण में संलग्न कार्यक्षेत्र के समस्त जिला वनोपज सहकारी यूनियन

(ब) राज्य शासन

(2) नाममात्र सदस्य–

अ. कोई भी विपणन, प्रक्रिया, उपभोक्ता या अन्य सहकारी संस्था जो अपने सदस्यों के उत्पादन एकत्र करती हो और उसे संपूर्ण रूप से उनकी ओर से संघ को विक्रय/प्रदाय करती हो या संघ द्वारा उत्पादित वस्तुओं का विक्रय/प्रदाय/वितरण करती हो तथा संघ से वित्तीय/**व्यवसायिक** संबंध रखने वाली संस्थाएं एवं **व्यक्ति** जैसे माल प्रदाय, ठेकेदार, विक्रय अभिकर्ता तथा अन्य प्रतिभूति देने वाले भी नाममात्र **सदस्य** हो सकेंगे ।

ब. नाममात्र सदस्यों को निर्धारित आवेदन पत्र पर रूपये 25/– के आवेदन शुल्क तथा रूपये 100/– सदस्यता शुल्क सहित संघ को लिखित में आवेदन करना होगा ।

स. नाममात्र सदस्यों को संघ के लाभ वितरण, प्रबंध में भाग लेने एवं मताधिकार तथा चुनाव में भाग लेने का का अधिकार नहीं होगा ।

(3) साधारण सदस्यों को लिखित में निर्धारित प्रारूप में सदस्यता आवेदन करना होगा तथा रूपये 25/– आवेदन शुल्क एवं क्रय किये जाने वाले अंशों की संपूर्ण राशि जमा करनी होगी । शासन से कोई शुल्क नहीं लिया जावेगा ।

(4) समय–समय पर संचालक मंडल द्वारा निर्धारित किये गये अनुसार संघ को यह अधिकार होगा कि वह अपने साधारण सदस्यों से उनके द्वारा संघ के साथ किये व्यवसाय के अनुपात में पूंजी और/अथवा ऋण पत्रों में अंशदान करने हेतु अनुरोध करें ।

(5) यदि देय तिथि से किसी भी अंश और/अथवा ऋण पत्र की राशि 6 माह तक अदेय रहती है तो संचालक मंडल ऐसे सदस्यों के विरूद्ध **उसे व्यतिक्रमी मानकर वैधानिक कार्यवाही कर सकेगा ।**

(6) आवेदन शुल्क प्रार्थना पत्र की अस्वीकृति की दशा में वापस नहीं होगा ।

(7) आवेदक को आवेदन के साथ अपनी संस्था की साधारण कमेटी का सदस्यता ग्रहण करने के लिये प्रस्ताव भेजना होगा ।

(8) प्रवेश हेतु अंतिम निर्णय संचालक मंडल लेगा, जिसको प्रवेश देने अथवा कारण बताकर प्रवेश न देने का अधिकार होगा । सदस्यता से इंकार की स्थिति में सदस्य अधिनियम/नियमों में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत 90 दिन के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष अपील कर सकेगा ।

(6) दायित्व :–

सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा धारित अंशों के मूल्य तक सीमित होगा ।

(7) अंश प्रमाण–पत्र :–

आवेदित तथा आबंटित अंशों के लिये अंश प्रमाण पत्र जिन पर स्पष्ट व क्रमवार संख्या पड़ी होगी एवं जिन पर प्रबंध संचालक एवं सचिव द्वारा हस्ताक्षर हों, जारी किये जावेंगे।

(8) अंश प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि :–

अंश प्रमाण–पत्र गुम या नष्ट हो जाने की स्थिति में सदस्यों को उनके द्वारा प्रतिभूति पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तथा एक रूपये प्रति अंश के मान से भुगतान करने पर संचालक मंडल के अनुमोदन से उसकी प्रतिलिपि जारी की जावेगी ।

(9) सदस्य का निष्कासन :–

संचालक मंडल की बैठक में उपस्थित एवं मत देने वाले 3/4 सदस्यों की सहमति से कोई भी साधारण सदस्य अधिनियम की धारा 19–ग की प्रकिया अनुसार निम्न कारणों में से किसी भी कारण से निकाला जा सकेगा :–

1. यदि वह शोध्य ऋण के भुगतान में त्रुटिकर्ता हो और/अथवा संघ के प्रति अपने दायित्वों के निर्वहन में आदतन अवहेलना करता हो ।
2. यदि वह जानबूझकर झूठे कथन द्वारा संघ को धोखा देता हो ।
3. यदि वह संघ की साख को क्षति पहुंचाने वाला कोई भी कार्य करता हो ।
4. संचालक मंडल द्वारा ऐसे सदस्यों के निष्कासन के प्रस्ताव की 7 दिन पूर्व लिखित सूचना पंजीकृत डाक द्वारा दी जायेगी ताकि वह संचालक मंडल के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकें ।
5. निष्कासन किये जाने पर सदस्य द्वारा धारित अंशों का आसेधन (जप्ती) भी किया जा सकेगा ।

(10) **अंश धारण :–**

संस्था में, राज्य सरकार या किसी अन्य सोसाइी से भिन्न कोई भी सदस्य–

(ए/क) सोसाइटी की कुल अंश–पूंजी के एक पंचमांश से अनधिक, उसके ऐसे भाग से अधिक धारण नहीं करेगा जैसा कि विहित किया जाय; या

(बी/ख) सोसाइटी के अंशों में (20) हजार रूपये से अधिक का कोई हित नहीं रखेगा या उसका दावा नहीं करेगा :

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, सोसाइटियों के किसी वर्ग की बाबत ऐसा अधिकतम परिमाण विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो यथास्थिति अंश–पूंजी के एक पंचमांश से या (बीस) हजार रूपये से अधिक होगा ।

साधारण सदस्य को उपविधि क्रमांक 5(4) में निर्धारित अंश धारण करना भी अनिवार्य होगा ।

(11) अंश हस्तान्तरण :–

(1) किसी भी सदस्य द्वारा कम से कम 12 माह तक अंश धारण किये रहने के बाद संचालक मंडल की अनुमति से अन्य सदस्य को उसके द्वारा धारित अंश का हस्तांतरण किया जा सकेगा ।

(2) कोई भी अंश हस्तातरण तब तक पूरा नहीं माना जावेगा जब तक कि हस्तांतरण हेतु एक रूपये का शुल्क जमा नहीं किया जाता है और जिसके पक्ष में हस्तांतरण हुआ है उसका नाम और हस्तान्तरण की प्रविष्टि अंश हस्तान्तरण पंजी में नहीं कर ली जाती है ।

(12) सदस्यता की समाप्ति :–

1. किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जायेगी यदि :–

1. उसे निष्कासित कर दिया गया हो/या
2. सोसायटी का पंजीयन रद्द कर दिया गया हो/या
3. उसके द्वारा संघ के प्रति अपने दायित्वों के निर्वहन में त्रुटि की गई हो/या
4. वह संचालक मंडल द्वारा निर्धारित अंश और/या ऋण पत्र धारण में असफल रहा हो/या
5. किसी अन्य संस्था को उसका अंश स्थानांतरण कर दिया गया हो ।

2. कोई भी सदस्य, जिसकी सदस्यता समाप्त हो गई हो, उसके द्वारा भुगतान की गई अंश राशि को, वास्तविक सीमा तक, सदस्यता समाप्ति के एक वर्ष बाद पाने का अधिकार होगा । **यदि उपविधि क्रमांक 9 (5) के अन्तर्गत अंश जप्त न किये गये हों ।**

(13) सदस्यों का दायित्व :–

1. प्रत्येक सदस्य वे वस्तुएं जो उसके द्वारा संघ निर्देश पर अपने सदस्यों से एकत्र (पूल) की गई हों और जिसमें संघ व्यवहार करता है संघ को प्रदाय करेगा ।

2. संघ द्वारा वस्तुएं प्रदान करने के संबंध में दिये गये निर्देशों जैसे वस्तुओं को प्रदाय करने के स्थान, समय परिवहन के साधन आदि का वह पालन करेगा ।

3. संघ द्वारा निर्धारित गुण/श्रेणी के मान से अपने सदस्यों से शुद्ध एवं बिना मिलावट के वस्तुओं का संग्रहण/एकत्रण करेगा ।

4. संघ द्वारा समय–समय पर निर्गमित निर्देशों/सुझावों का पालन करेगा और संघ द्वारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक एवं चाही गई समस्त जानकारी तुरंत प्रस्तुत करेगा ।

5. किसी भी सदस्य द्वारा उपरोक्तानुसार और संघ द्वारा निर्धारित अन्य दायित्वों के निर्वर्तन में त्रुटि करने की दशा में वह उसके परिणामस्वरूप संघ को हुई हानि जो भी संचालक मंडल द्वारा निर्धारित की जाये, संघ को भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा ।

(14) साधारण सभा :–

1. **साधारण सभा में निम्नानुसार सदस्य होंगे :–**
   - **(1) संचालक मण्डल के सदस्य ।**
   - **(2) समस्त सदस्य सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि ।**
   - **(3) राज्य शासन के प्रतिनिधि**
   - **(4) पंजीयक सहकारी संस्थाऐं म.प्र. या उनका प्रतिनिधि जो संयुक्त पंजीयक के रतर से कम न हो ।**

1 2 अधिनियम / नियम एवं उपनियमों की परिसीमा में संघ के संबंधित अधिकार साधारण सभा में निहित रहेंगे ।

3. संघ के अध्यक्ष द्वारा साधारण सभा की अध्यक्षता की जायेगी । इनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष तथा दोनों की अनुपस्थिति की दशा में साधारण सभा की बैठक में उपस्थित सदस्य अपने में से बैठक की अध्यक्षता हेतु एक अध्यक्ष चुनेंगे जो साधारण सभा की अध्यक्षता करेगा, परंतु यदि संघ के संचालक मंडल को अधिनियम की किसी भी धारा के अंतर्गत हटा दिया जाता है अथवा अधिकमित कर दिया जाता है अथवा निलम्बित कर दिया जाता है तो उस स्थिति में साधारण सभा की अध्यक्षता रजिस्ट्रार द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जावेगी ।

4. अधिनियम, नियम एवं उप नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत साधारणतः वनोपज संघ की प्रथम साधारण सभा को वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो कि वार्षिक साधारण सभा के लिए आगे दर्शाई गई है । प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह के भीतर साधारण सभा का आयोजन करना अनिवार्य होगा । इसकी सूचना सदस्यों एवं पंजीयक को कम से कम 14 दिन पहले भेजी जायेगी । सूचना पत्र में बैठक की तिथि, स्थान, समय और बैठक में रखे जाने वाले विषयों की सूची रहेगी ।

5. संघ का संचालक मंडल किसी भी समय आवश्यक कार्य के लिये विशेष साधारण सभा की बैठक बुला सकता है लेकिन संचालक मंडल के बहुमत द्वारा या कम से कम सदस्यों के 1/10 संख्या द्वारा लिखित मांग किये जाने की दशा में नियमानुसार ऐसी बैठक बुलाई जावेगी । रजिस्ट्रार द्वारा लिखित अध्यपेक्षा किये जाने पर भी ऐसी बैठक बुलाई जा सकेगी ।

6. पंजीयन के पश्चात साधारण सदस्यों की बुलाई गई प्रथम साधारण सभा को वे सभी अधिकार होंगे जो वार्षिक साधारण सभा को दिये गये हैं ।

(15) साधारण सभा/विशेष साधारण सभा की सूचना :–

संघ के संचालक मंडल द्वारा विशेष साधारण सभा/वार्षिक साधारण सभा की बैठक बुलाई जावेगी जिसके लिये सदस्यों तथा पंजीयक को कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी । सूचना पत्र में बैठक का स्थान, तिथि समय और बैठक में रखे जाने वाले विषयों की सूची रहेगी । उसके साथ ही वार्षिक साधारण सभा/विशेष साधारण सभा की सूचना संघ के पंजीकृत कार्यालय के सूचना पटल पर भी प्रकाशित की जावेगी । साधारण सभा की बैठक की सूचना निम्न प्रकार से दी जावेगी :–

अ. आमसभा की सूचना सदस्यों एवं पंजीयक को कम से कम 14 दिन पूर्व साधारण डाक द्वारा भेजी जाएगी एवं सूचना सोसाइटी के क्षेत्र में परिचालित अधिकतम 2 स्थानीय हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। जिसमें सूचना पत्र में आयोजित बैठक दिनांक, स्थान समय तथा एजेंडा दिया जावेगा। यह सूचना, संघ के पंजीकृत कार्यालय के सूचना पटल पर अनिवार्य रूप से चस्पा की जावेगी।

ब. साधारण सभा के कुल सदस्यों के 1/10 या 50 जो भी कम हो, के द्वारा गणपूर्ति की जावेगी । सभा हेतु जारी सूचना में अन्यथा वर्णित स्थिति की दशा में नियत समय से आधा घंटे के भीतर गणपूर्ति न हो पाने पर बैठक को अध्यक्ष द्वारा घोषित समय, स्थान एवं दिनांक तक के लिये स्थगित कर दिया जावेगा । स्थगित बैठक में गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी किन्तु विषय सूची मात्र वही रहेगी जो पूर्व बैठक के लिये जारी

[illegible]

स. उपविधियों में संशोधन का विषय होने पर आम सभा विशेष आम सभा में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से निर्णय होने पर उपविधियों में कोई परिवर्तन/निरसन किया जा सकेगा । ऐसा संशोधन तब तक प्रभावशील नहीं होगा जब तक रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदन एवं पंजीकृत न किया हो ।

(16) साधारण सभा के कार्य :–

साधारण सभा अन्य विषयों के साथ–साथ निम्न कार्य करेगी :–

1. संघ की गत साधारण सभा की कार्यवाही की पुष्टि करना। ।
2. सोसाइटी के कियाकलापों का, जो कि संचालक मंडल द्वारा आगामी वर्ष के लिए तैयार किया गया हो, अनुमोदन करने के लिए।
3. संचालक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन, यदि वह कराया जाना अपेक्षित हो गया है। स्पष्टीकरण – संचालक मंडल का निर्वाचन अपेक्षित हो गया समझा जाएगा। यदि संचालक मंडल की अवधि समाप्त हो गई हो।
4. संपरीक्षा रिपोर्ट, यदि प्राप्त हुई हो तथा वार्षिक पर विचार करने के लिए।
5. शुद्ध लाभ के व्ययन के लिए।
6. किसी अन्य विषय पर जो कि उपविधियों के अनुसार लाया जाए, विचार करने के लिए।
7. आगामी सहकारी वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करने के लिए।
8. वित्तीय वर्ष में कार्य संचालन के कारण हुए घाते के कारणों का परीक्षण करना, और।
9. लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए संपरीक्षक की नियुक्ति करना।
10. संचालक मंडल से प्राप्त संघ के गत वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट एवं अंकेक्षित हिसाब–किताब को स्वीकृत करना ।
11. स्वीकृत बजट से अधिक हुए व्यय की स्वीकृति देना ।
12. अंकेक्षक से प्राप्त अंकेक्षण प्रतिवेदन पर तथा संचालक मंडल से प्राप्त पालन प्रतिवेदन पर विचार करना, स्वीकृत करना ।
13. उप नियमों में संशोधन करना ।
14. अधिनियम, नियम एवं उपनियमकी परिसीमाओं में संघ द्वारा प्राप्त किये जाने वाले अमानती ऋण पत्रों की अधिकतम सीमा तथा ब्याज दरें निश्चित करना ।
15. संचालक मंडल द्वारा प्रस्तुत या नियमानुसार प्राप्त अन्य विषयों पर विचार करना ।
16. **अधिनियम एवं नियमों द्वारा साधारण सभा के लिए निर्धारित अन्य समस्त कार्य करना।**

(17) साधारण सभा की बैठक की कार्यवाही :–

1. संघ के उप नियमों में संशोधन के अतिरिक्त समस्त विषयों पर निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से होगा ।
2. मतदान बराबर होने की दशा में अध्यक्ष या बैठक के अध्यक्ष को एक और मत यानी निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।
3. संघ की साधारण सभा की बैठक में उपनियमों में संशोधन उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर होगा ।

अध्यक्ष के निर्देशानुसार [illegible] संचालक साधारण सभा के [illegible] कार्य करेगा और कार्यवाही पुस्तिका में साधारण सभा की कार्यवाही [illegible] । सभा की कार्यवाही अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित की जावेगी एवं कार्यवृत्त की प्रति सदस्यों को 30 दिन के अन्दर अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित प्रति भेजी जावेगी ।

(18) मताधिकार :–

1. सदस्य मताधिकार का प्रयोग अधिनियम, नियम तथा संघ के उपनियमों में वर्णित दायित्वों को पूरा करने पर ही कर सकेंगे । प्रत्येक पात्र सदस्य को मात्र एक वोट देने का अधिकार होगा

2. नाममात्र सदस्यों को मताधिकार नहीं रहेगा ।

(19) संचालक मंडल :–

संघ के संचालक मंडल में **कुल 21** संचालक होंगे, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

1. **निर्वाचित संचालक** :– राज्य के इंदौर उज्जैन, जबलपुर, सागर, रीवा, भोपाल, **नर्मदापुरम,** ग्वालियर, चंबल, **शहडोल प्रत्येक** राजस्व संभाग के अन्तर्गत आने वाली जिला यूनियन जो संघ के सदस्य हैं के प्रतिनिधियों में से एक–एक संचालक निर्वाचित किया जायेगा। निर्वाचित समूह/राजस्व संभाग के अंतर्गत जिला यूनियनों के प्रतिनिधि ही उस समूह से अभ्यर्थी हो सकेंगे तथा मतदान की दशा में उस समूह के प्रतिनिधि ही मतदान में भाग ले सकेंगे ।

2. निर्वाचित संचालकों में अध्यक्ष एवं दो उपाध्यक्ष रहेगा ।

3. **नामांकित संचालक** :– विधान की धारा 52 के अंतर्गत शासन द्वारा नामांकित संचालक
   1. प्रमुख सचिव अथवा सचिव, म.प्र. शासन वन विभाग या उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि जो उप सचिव स्तर से कम का न हो ।
   2. प्रमुख सचिव अथवा सचिव म.प्र. शासन वित्त विभाग या उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि जो उप सचिव स्तर से कम का न हो ।
   3. प्रमुख सचिव अथवा सचिव, म. प्र. शासन सहकारिता विभाग या उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि जो उप सचिव स्तर से कम का न हो ।

4. **पदेन संचालक** :–
   1. म. प्र. शासन के निर्देश पर केन्द्रीय शासन के अधिकारी ।
   2. सचिव, म. प्र. शासन आदिम जाति कल्याण विभाग या उनका प्रतिनिधि ।
   3. पंजीयक सहकारी संस्थाएं, म. प्र. या उनके प्रतिनिधि, जो संयुक्त पंजीयक स्तर से कम का न हो ।
   4. प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल
   5. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, वन विभाग
   6. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (उत्पादन) वन विभाग ।

8. वन एवं [illegible] क्षेत्र में विशेषज्ञता धारित करने वाले (सहयोजित) :-

परन्तु ऐसे सहयोजित सदस्यों को उनकी ऐसे सदस्य की हैसियत में सहकारी सोसाइटी के किसी निर्वाचन में मत देने का अथवा संचालक मंडल में पदाधिकारियों के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र होने का अधिकार नहीं होगा

1. संचालक मंडल के सदस्यों की संख्या के आधे से अधिक सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मानी जावेगी ।

2. संचालक मंडल का कार्यकाल मंडल की प्रथम बैठक जिसमें संचालकों द्वारा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जायेगा के दिनांक से पांच वर्ष होगा ।

3. संचालक मंडल का कोई भी सदस्य ऐसे मामलों में जिनसे वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से संबंधित हो अथवा प्रत्यक्ष या परोक्ष हित रखता हो उस पर विचार करते समय अथवा मतदान के समय भाग नहीं ले सकेगा ।

4. म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 एवं नियम 1962 के प्रावधान के अनुसार निर्वाचन की कार्यवाही सम्पन्न कराई जायेगी ।

5. किसी विशिष्ट विषय पर यदि निर्णय अति आवश्यक हो और संचालक मंडल की नियमित बैठक बुलाने तक रूकना संभव न हो तो ऐसे विषय पर संचालक मंडल के सभी सदस्यों में सर्व सम्मति से भ्रमणशील प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया जा सकेगा । जिसकी पुष्टि संचालक मंडल की आगामी बैठक में कराना अनिवार्य होगा ।

6. संचालक मंडल द्वारा अथवा किसी भी व्यक्ति द्वारा संचालक मंडल के सदस्यों के रूप में किया गया कोई भी कार्य इस कारण कि संचालक मंडल की रचना में या उसकी प्रकिया में या ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति में कोई दोष है उसका बाद में पता लगने पर भी कार्यवाही अवैध नहीं समझी जावेगी ।

7. संचालक मंडल की बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार बुलाई जा सकेगी किंतु तीन माह में कम से कम एक बार बैठक अवश्य बुलाई जावेगी ।

(20) संचालक मंडल के सदस्य, पदाधिकारी एवं प्रतिनिधियों की अपात्रता–

कोई ऐसा सदस्य संस्था के संचालक मंडल के सदस्य के रूप में सदस्यता के लिये, संस्था में विनिर्दिष्ट पद धारण करने के लिये तथा अन्य संस्थाओं में प्रतिनिधित्व करने के लिये अथवा निर्वाचित होने के लिये योग्य नहीं होगा अथवा अयोग्य माना जावेगा यदि वह :–

1. संस्था के व्यापार के अनुरूप व्यापार करता हो ।
2. दिवालिया घोषित किये जाने के लिये आवेदक है या दिवालिया घोषित कर दिया गया है ।

3. वह किसी ऐसे अपराध जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित न हो, को छोड़कर, किसी अपराध के लिये दण्डादिष्ट किया गया हो और ऐसा दण्डादेश समाप्त होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि व्यतीत न हुई हो ।
4. पागल हो अथवा हो जावे ।
5. संस्था में किसी लाभ के पद पर हो अथवा
4. लाभ का पद स्वीकार कर ले ।
6. संस्था के वैतनिक कर्मचारी का निकट संबंधी हो, निकट संबंधी होने से तात्पर्य उन संबंधों से है जिनका वर्णन म.प्र. सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्रमांक 44 तथा 45 में किया गया है ।
7. म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58(बी) जिसमें संस्था को पहुंचाई गई हानि की वसूली हेतु उत्तरदायी ठहराया गया हो, के अधीन अधिभारित किया गया हो अथवा इसी अधिनियम की धारा 19(सी) के अधीन निष्कासित किया गया हो ।
8. **स्वयं के द्वारा संस्था अथवा किसी अन्य सहकारी सोसायटी से लिये गये किसी ऋण अथवा अग्रिमों के संबंध में 12 माह से अधिक समय तक कालातीत हो गया हो ।**

9. यदि वह केन्द्र अथवा राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय संस्था या किसी सहकारी सोसायटी की सेवा से हटाया गया हो ।

10. यदि वह जिस प्राथमिक वनोपज सहकारी सहकारी संस्था से प्रतिनिधित्व कर रहा है, उस संस्था का कम से कम संस्था के एक अंश का स्वामी न रहा हो या उस संस्था ने जिला यूनियन का कम से कम एक अंश क्रय न किया हो या एक अंश की स्वामी न रही हो ।
11. यदि संचालक मंडल धारा 53(एक) के तहत अधिक्रमित किया गया हो तथा संचालक मंडल का कोई भी सदस्य 7 वर्ष के लिये न तो चुनाव ही लड़ सकेगा और न ही उन सदस्यों का उस संस्था में सहयोजन/नामांकन किया जा सकेगा ।

(20–अ) विनिर्दिष्ट पद धारण की अपात्रता–

1. **उपरोक्त वर्णित अपात्रताओं के अलावा कोई भी व्यक्ति संस्था के विनिर्दिष्ट पद अर्थात अध्यक्ष या सभापति एवं उपाध्यक्ष और उपसभापति के रूप में निर्वाचित होने के लिये पात्र नहीं होगा यदि वह संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, नगरीय स्थानीय निकाय, मंडी बोर्ड या मंडी समिति में कोई पद धारण करता है ।**
2. **उपरोक्त वर्णित अपात्रताओं के अलावा कोई भी व्यक्ति संस्था के विनिर्दिष्ट पद अर्थात अध्यक्ष या सभापति एवं उपाध्यक्ष और उपसभापति के रूप में निर्वाचित होने के लिये पात्र नहीं होगा और उस रूप में अपना पद धारण करने से परिविरत हो जावेगा यदि वह 2 लगातार कार्यकालों तक या 10 वर्षों की लगातार कालावधि तक, इसमें से जो भी कम हो, वह संस्था को विनिर्दिष्ट पद धारण कर चुका हो ।**

परंतु किसी व्यक्ति को ऐसे विनिर्दिष्ट पद पर तब तक पुनः निर्वाचित या पुनर्नियुक्त नहीं किया जावेगा जब तक कि पूरे कार्यकाल के बराबर की कालावधि का अवसान न हो गया हो ।

21) संचालक मंडल के अधिकार दायित्व एवं कर्तव्य

1. संघ का संपूर्ण प्रशासन प्रबंध एवं नियंत्रण संचालक मंडल में वेष्ठित होगा, संचालक मंडल को अधिनियम नियम या ऐसे अधिनियम जो बाद में उनके स्थान पर प्रभावशील हों और ऐसे नियम जो राज्य शासन द्वारा उपरोक्त अधिनियम नियम और उपनियमों एवं/या कोई भी उपनियम जो संघ द्वारा उपयुक्त रीति से बनाए जावे, के अंतर्गत संघ के सभी प्रबंध और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिये जिनके लिये संघ का गठन किया गया और उसके हितों को प्राप्त करने तथा आगे बढ़ाने के लिये ऐसे सभी समझौते/व्यवस्था/कार्यवाही करने का अधिकार रहेगा और वह उनका प्रयोग करेगा।
2. अधिनियम की धारा 48 सी एवं इन उपनियमों के अंतर्गत प्रदत्त सामान्य अधिकारों को कम न करते हुये संचालक मंडल के अधिकार दायित्व एवं कर्तव्य निम्नानुसार होंगे:-

(1) संचालक मंडल की पूर्व बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन करना ।

(2) सदस्य भर्ती करना व त्यागपत्र स्वीकार करना, अंशों के आवंटन ऋण पत्रो के निर्गमन तथा इनके हस्तांतरण संबंधी विषयों पर विचार कर निर्णय लेना।

(3) अमानते स्वीकार करने, ऋण प्राप्त करने और ऋण पत्र निर्गमित करने की सीमा का निर्धारण करना । संचालक मंडल द्वारा कभी भी संघ की संपत्ति आदि संघ के व्यवसाय हेतु किसी भी प्रकार की राशि प्राप्त करने के लिये प्रतिभूति के रूप में रखी जा सकेगी या उन पर किसी का भार कायम किया जा सकेगा । कार्यशील पूंजी के लिये अल्पावधि ऋण अग्रिम प्राप्त करने को छोड़कर उपरोक्तानुसार अन्य प्रकार की प्राप्तियों के लिये शर्तों आदि का निर्धारण किया जा सकेगा ।

(4) निधि की सीमा के अंतर्गत संघ की आवश्कतानुरूप जमीन प्राप्त/क्रय करना, भवन बनाना या भवन क्रय करना अथवा लीज पर लेना अथवा अन्य तरह से प्राप्त करना ।

(5) संघ के लिये प्रशासनिक एवं संगठन ढांचे, कर्मचारियों की श्रेणियां, वेतनमान निर्धारित करना व उनके सेवा नियम बनाना और पंजीयक से अनुमोदन पश्चात लागू करना।

(6) अपने कर्मचारियों के हित के लिये भविष्य निधि स्थापित करना और कल्याण कार्यों के लिये ट्रस्ट निधि आदि स्थापित करना और/अथवा उसमें सहयोग देना। ।

(7) संघ के उद्देश्यों को प्राप्त करने में उपयोगी किसी भी पेटेंट खोज या अनुसंधान का पेटेंट राईट, ट्रेड राईट कॉपी राईट, गोपनीय प्रतिक्रियाओं की कॉपी राईट या तकनीकी मदद सहयोग या नोहाउ को प्राप्त करने, क्रय करने अथवा लाइसेंस आदि के माध्यम से या अन्य रीति से प्राप्त करने हेतु आवेदन करना ।

(8) संघ या उसके अधिकारी या संघ के किसी भी कार्य से संबंधित पक्ष में या विपक्ष में किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही को चालू करना, उसका बचाव करना, आपसी समझौता करना या उठाना करना और किसी भी भुगतान या किसी प्रकार का स्वत्व या कर्ज का समझौता द्वारा चुकाने का समय देना, उसे तबन्य करना और या संघ के पक्ष या विपक्ष में प्राप्तियों का पंचाट या अन्य किसी तरह से निराकरण करना ।

(9) संघ कर्मचारी सेवा नियम के प्रावधानों के अंतर्गत संघ के अधिकारियों/कर्मचारियों को नियुक्त करना और अथवा निकालना ।

(10) संस्था के वित्तीय पत्रक तैयार कराना, आमसभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त करना तथा उसके पालन प्रतिवेदन को साधारण सभा के समक्ष रखे जाने हेतु अनुमोदित करना ।

(11) वार्षिक कार्य विवरण एवं आर्थिक नक्शों को तैयार कर साधारण सभा में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना ।

(12) लाभांश के वितरण एवं विनियोग पर निर्णय लेना और स्वीकृति हेतु साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत करना ।

(13) लेखों का विवरण तथा संपरीक्षा रिपोर्ट रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना ।

(14) अनुरोध किये जाने अथवा आवश्यक होने पर सदस्य सहकारी समितियों का प्रबंध अधिग्रहण करने के संबंध में निर्णय लेना, अनुमोदन करना ।

(15) संघ के व्यवसाय के लिये संयंत्र, मशीनरी और अन्य सम्पत्ति के क्रय करने, लगान या किराये पर लेने का अनुमोदन करना ।

(16) संघ के व्यवसाय हेतु अनुपयुक्त किसी भी भूमि और अन्य अचल सम्पत्तियों के विक्रय द्वारा निकाल हेतु साधारण सभा के अनुमोदन हेतु प्रस्तावित करना ।

(17) ट्रेड मार्क नेम के उपयोग हेतु फीस का निर्धारण करना ।

(18) सदस्यों द्वारा प्रदाय की गई वस्तुओं के संबंध में मूल्य नीति निर्धारण करना ।

(19) निर्धारित ऋण सीमा में कर्ज लेने और उनके दस्तावेजों लिखितमों पर संघ की ओर से कौन हस्ताक्षर करेगा, यह तय करना ।

(20) प्रयुक्त की जाने के लिये संघ की सामान्य मुद्रा के बारे में निर्णय लेना ।

(21) अगले वर्ष का कार्यक्रम व बजट बनाना और साधारण सभा में स्वीकृत हेतु प्रस्तुत करना ।

(22) संचालक मंडल के सदस्यों के भत्ता संबंधी नियम बनाकर पंजीयक के अनुमोदन के बाद उन्हें लागू करना ।

(23) विभिन्न कार्यों, विभागों के संचालन, कार्य प्रगति संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त करना और उन पर विचार करना व नियंत्रण हेतु आवश्यकतानुसार नियम बनाना व निर्देश देना ।

(24) अधिकतम तीन माह के अल्पकार्यकाल के लिये उप समितियों का गठन करना और उसके कार्य निर्धारण करना, परंतु ऐसी उप समितियों की कुल संख्या एक समय में 2 से अधिक नहीं होगी तथा ऐसी समिति में कुल 5 से अधिक सदस्य नहीं होंगे ।

(25) उपनियमों के अंतर्गत गठित सलाहकार मंडल द्वारा दी गई सलाह पर विचार कर उपर्युक्त निर्णय लेना ।

(26) उपनियमों के अंतर्गत गठित कार्यक्रम निर्धारित समिति द्वारा बनाये विभिन्न कार्यक्रम एवं नीतियों पर विचार करना, उपयुक्त निर्णय लेना ।

(27) अधिनियम की धारा–48 (सी) में वर्णित विषयों पर नीतियां बनाना ।

(28) जहां संघ को जिस वर्ष में परिचालन घाटा होता है वहां उसके कारणों को साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत करना ।

(29) संघ के अध्यक्ष/सभापति, उपाध्यक्ष एवं उपसभापति तथा प्रतिनिधियों/पदाधिकारी का निर्वाचन करना तथा उन्हें पद से हटाना ।

(30) आगामी संचालक मंडल के निर्वाचन हेतु अधिनियम के प्रावधानों अनुसार कार्यवाही करना ।

(31) संघ के समस्त व्ययों को स्वीकृत करना, परन्तु संचालक मंडल द्वारा स्वीकृत करने के अधिकारों का एक निश्चित सीमा तक प्रत्यायोजन अध्यक्ष, प्रबंध संचालक एवं संघ के अन्य अधिकारियों को कर सकेगा ।

(32) तेन्दूपत्ता व्यवसाय एवं राष्ट्रीकृत वन उपज को छोड़कर संघ के अन्य व्यवसाय से संबंधित निर्णय लेना ।

(33) संस्था के लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्ट इस विभाग के माध्यम से विधानसभा के पटल पर रखी जायेगी ।

(34) संस्था किसी अधिकारी या कर्मचारी पर इस बात का विनिदिष्ट उत्तरदायित्व नियत करेगी कि वह ऐसे अभिलेख, रजिस्ट्रर, लेखा पुस्तके बनाये रखे और सोसायटी रजिस्ट्रर को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर विवरणियां प्रस्तुत करेगी जिसमें निम्नलिखित विषय सम्मिलित होगें, अर्थातः–

1. उसके कियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट,
2. उसके लेखाओं के संपरीक्षित विवरण,
3. संघ के साधारण निकाय द्वारा यथा अनुमोदित अतिशेष व्ययन के लिए प्लान,
4. संघ की उपविधियों की सूची, यदि कोई हो,
5. उसके साधारण निकाय का सम्मिलन आयोजित करने की तारीख के संबंध में घोषणा तथा निर्वाचन कराना, जब अपेक्षित हो जाये ।
6. अधिनियम के उपबंधों में रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित कोई अन्य जानकारी।

(22) अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों को पद से हटाने एवं रिक्ति की पूर्ति की प्रणालीः–

(अ) (1) समिति के किसी सदस्य या संघ के पदाधिकारी की अपात्रता की जानकारी ज्ञान में आने की तारीख से दो माह के भीतर उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए संचालक मंडल उसे पद धारण करने के अयोग्य घोषित कर सकेगा । इस प्रकार रिक्त घोषित पद की सूचना संघ, रजिस्ट्रार सहकारी संस्थायें म.प्र. एवं जिले के रजिस्ट्रार को लिखित रूप में पारित आदेश के दिनांक से 7 दिन के अंदर सूचित करेगा ।

(ब) समिति के अध्यक्ष या पदाधिकारियों को हटाये जाने के संबंध में यदि संचालक मंडल के निर्वाचित सदस्यों में से एक तिहाई सदस्यों द्वारा आवेदन करने पर म.प्र. सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 43–क के प्रावधान अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी ।

(23) संघ का अध्यक्षः–

1. संघ के निर्वाचन के पश्चात संचालक मंडल की प्रथम बैठक में सदस्य अपने में से अध्यक्ष एव दो उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन रिटर्निंग आफीसर द्वारा विहित रीति से कराया जायेगा ।
2. अध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं संचालक मंडल की बैठक की अध्यक्षता की जावेगी उनकी अनुपस्थिति में कोई एक उपाध्यक्ष तथा तीनों की अनुपस्थिति में संचालक अपने में से किसी एक को उक्त बैठक की अध्यक्षता करने के लिये अध्यक्ष चुनेंगे ।
परंतु यदि संघ का संचालक मंडल अधिनियम, की किसी भी धारा के अंतर्गत हटा दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है अथवा अधिक्रमित कर दिया जाता है, तो उस दशा में साधारण सभा की अध्यक्षता पंजीयक द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जावेगी ।

(24) संघ का प्रबंध संचालक :–

संचालक मंडल के सामान्य नियंत्रण के अधीन प्रबंध संचालक, संघ का मुख्य कार्यपालन अधिकारी होगा, जो भारतीय वन सेवा के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का होगा ।

2. प्रबंध संचालक के सामान्य अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व निम्नानुसार होंगे:-

1. संघ के दिन प्रतिदिन के व्यापार एवं कार्य के सामान्य निर्वाह, पर्यवेक्षण और प्रबंध के लिए उत्तरदायी होगा ।

2. संचालक मंडल के सामान्य नियंत्रण के और पर्यवेक्षण के अधीन संघ के प्रशासन में सामान्य नियंत्रण रखना ।

3. संघ के कर्मचारियों को अथवा संवर्ग के कर्मचारियों के संबंध में ऐसी शक्तियों, जो अधिनियम की धारा 55 के अंतर्गत बनाये गये सेवा नियमों में वर्णित हों ।

4. उपविधियों के प्रावधानों के अधीन संघ के कर्मचारियों की शक्तियों, कर्तव्यों और दायित्वों का निर्धारण करना ।

5. ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों का उपयोग करना जो संघ की उपविधियों द्वारा उनके अंतर्गत विनिर्दिष्ट हो ।

6. संघ के पक्ष में किसी अथवा सभी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही अथवा संबद्ध कार्यों को संस्थित संचालित परिलक्षित समझौता अथवा परित्याग करना तथा संघ के विरूद्ध किसी दावे अथवा मांग की अदायगी में संचालक मंडल के निर्णय अनुसार समझौता करना अथवा समय प्रदान करना ।

7. वचन पत्र, शासकीय और अन्य प्रतिभूतियों को पृष्ठांकित और हस्तांतरण करना तथा सोसायटी/संघ की ओर से धनादेशों तथा दूसरे हस्तांतरणीय प्रलेखों को पृष्ठांकित, हस्तांतरित या निगोशिएट करना ।

8. संघ की ओर से सभी निधियों और प्रतिभूतियों को प्राप्त करना तथा नगद राशियों और संघ की अन्य संपत्तियों का उचित रखरखाव तथा अभिरक्षा के प्रबंध करना ।

9. अध्यक्ष के परामर्श से संचालक मंडल की बैठक आहूत करना तथा संचालक मण्डल के निर्णय अनुसार आमसभा की बैठकों को आहूत करना । ऐसी बैठकों का कार्यवाही विवरण लेखबद्ध करना तथा यथासमय सदस्यों को परिचालित करना ।

10. सभी जमा रसीदों पर हस्ताक्षर करना तथा संघ के बैंक में रखे खातों को संचालित करना एवं इस हेतु सक्षम अधिकारियों को अधिकृत करना ।

11. संघ के कार्यों से संबंधित समस्त सूचना, प्रतिवेदन और रिटर्न देना, जो रजिस्ट्रार अथवा राज्य शासन द्वारा वांछित हो । संघ के लेखे तारीख पूर्ण रखना एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के अंदर अंकेक्षक को प्रस्तुत करना ।

12. संचालक मंडल अथवा जैसी भी स्थिति हो अन्य सक्षम प्राधिकारी के निर्णयों के परिपालन में निर्णयों को संसूचित करना और उपयुक्त निर्देश जारी करना ।

16. कर्मचारियों द्वारा यदि कोई प्रतिभूति दी जाने वाली हो तो प्रतिभूति की राशि तथा स्वरूप का निर्धारण करना ।

17. संचालक मंडल द्वारा अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करना ।

18. अंश प्रमाण–पत्रों का नवीनीकरण करना ।

19. संघ की ओर से पत्र व्यवहार करना एवं ऋण प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेजों पर संघ की ओर से हस्ताक्षर करना ।

20. प्रशा[illegible] सदस्यों तथा अन्यों के साथ ठेका करने, इक[illegible] भागीदारी करने तथा सह[illegible]भागीदारी करने के संबंध में समस्त बातचीत [illegible]

21. उपरोक्त 20 में दर्शाये गये विषयों के संबंध में संघ के नाम पर तथा उसकी ओर से समस्त कागजातों इकरारनामें, दस्तावेज का निष्पादन करना तथा इस संबंध में अन्य समस्त, कार्यवाही करना ।

22. संचालक मंडल द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत संघ की ओर से तथा संघ के नाम पर चल या अचल सम्पत्ति के क्रय विक्रय, फरोख्त संबंधी दस्तावेजों को निष्पादित करना तथा उसके संबंध में अन्य समस्त कार्यवाही करना ।

23. संचालक मंडल द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार कोई चल संपत्ति, अचल संपत्ति, अंश प्रतिभूति दस्तावेजों के विक्रय गिरवी तारण, हस्तांतरण, पृष्ठांकन या अन्यप्रकार से फरोख्त संबंधी कागजातों पर तथा दस्तावेजों को संघ की ओर से, निष्पादन करना ।

24. पूर्ण शोधन होने पर संघ के दावों और मांगों को छोडना या उन्मुक्त करना ।

25. कर्मचारियों के स्थानांतरण करना ।

26. संघ के व्यापार संबंधी कार्यक्रम तैयार करना और उसे संचालक मंडल को प्रस्तुत करना ।

27. किसी सहकारी सोसायटी के जिसका प्रबंध भार संघ को सौंपा गया हो कार्य संचालन हेतु **संचालक मंडल की सहमति से** व्यक्ति या व्यक्तियों की नियुक्ति करना और समय–समय पर ऐसे परिवर्तन करना जो आवश्यक समझे ।

28. संचालक मंडल द्वारा निर्धारित शर्तों पर सदस्यों को नगद तथा वस्तुओं के रूप में ऋण या अग्रिम प्रदान करने की स्वीकृति देना ।

29. संघ का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अन्य प्रतिवेदन जो संचालक मंडल या अन्य समिति द्वारा चाहे गये हों, प्रस्तुत करना ।

30. अंकेक्षण प्रतिवेदन, अंकेक्षित लाभ–हानि लेखा, और स्थिति विवरण पत्रक, निरीक्षण की टिप्पणियां संचालक मंडल को, प्रस्तुत करना और उनकी तामिली करना ।

31. वार्षिक आय–व्यय का अनुमान पत्रक संचालक मंडल को प्रस्तुत करना ।

32. संचालक मंडल को संघ द्वारा किये जानेवाले आर्थिक व्यवहारों तथा बंधनों में सिफारिश करना ।

33. संघ से संबंधित अपनी निर्धारित अधिकारिता के अंतर्गत खर्च की स्वीकृति देना तथा खर्च करने के लिये अधिकार देना ।

34. संघ पर ऋण दायित्वों और दावों और मांगों का भुगतान या पूर्ण शोधन करना।

35. संघ के अधिकारियों/कर्मचारियों पर नियन्त्रण रखना, मार्गदर्शन करना, तथा उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्धारण करना ।

टीप– प्रबंध संचालक का पद रिक्त होने की स्थिति में उपनियमों में उल्लेखित उनके सभी कार्य एवं अधिकार इन उपनियमों में अन्य कोई विपरीत व्यवस्था रहने पर भी संघ के सचिव द्वारा सम्पन्न किये जायेंगे ।

(25) संघ का सचिव–

1. संघ के प्रबंध संचालक की सहायता हेतु सचिव की नियुक्ति म.प्र. शासन, सहकारिता विभाग द्वारा की जावेगी । सचिव सहकारिता विभाग का अपर/संयुक्त पंजीयक एवं **अपर/संयुक्त आयुक्त, सहकारिता** की श्रेणी का अधिकारी होगा । सचिव प्रबंध संचालक के नियंत्रण में एवं उनके निर्देशानुसार कार्य करेगा ।
2. प्रबंध संचालक द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशनों अथवा ऐसे आदेशों जो वे प्रसारित करें, के अतिरिक्त सचिव को निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य होंगे –

    1. प्रबंध संचालक को, संघ के समस्त वैतनिक कर्मचारियों के कार्यों पर नियंत्रण रखने पर्यवेक्षण करने तथा मार्गदर्शन देने में सहायता करना ।
    2. संघ के प्रबंध संचालक की ओर से संघ का पत्र व्यवहार करना.

3. अधिनियम और उसके अंतर्गत नियमों के प्रावधान के अनुसार संघ के पुस्तकों में प्रविष्टियॉ प्रमाणित करना.
4. सघ के कर्मचारियों को अवकाश प्रदान करना.
5. अधिनियम और उसके अंतर्गत नियमों के प्रावधानों के अनुसार सदस्यों को संघ के कागजातों और दस्तावेजों का निरीक्षण करवाना.
6. संघ के कर्मचारियों के अवकाश का हिसाब, सेवा–पुस्तिका तथा निजी रिकार्ड रखे जाने की व्यवस्था करना.
7. अधिनियम एवं उसके अंतर्गत नियम तथा अन्य किसी कानून के अनुसार प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण (रिटर्नस) प्रस्तुत करना.
8. संचालक मंडल, द्वारा प्रदत्त कर्तव्य एवं अधिकार तथा संघ के किसी नियमों के अनुसार दिए गए अधिकारों एवं कर्तव्यों का पालन करना तथा अधिकारों का प्रयोग करना.
9. प्रबंध संचालक को संघ से संबंधित समस्त मामलों में सहायता करना और ऐसे सभी कर्तव्यों का पालन करना जो उन्हें संचालक मंडल तथा अध्यक्ष द्वारा सौंपे जावें.
10. संचालक मंडल द्वारा समय–समय पर नियुक्ति किए गए कर्मचारियों के नियुक्ति आदेश प्रसारित करना.
11. संचालक मंडल के निर्णयानुसार संघ के समस्त वैतनिक कर्मचारियों की सेवा समाप्ति, हटाने, बर्खास्त करने, अर्थदण्ड या अन्य प्रकार से दंडित करने के आदेश प्रसारित करना केवल उन्हें छोड़ जिनकी नियुक्ति राज्य शासन अथवा पंजीयक के अनुमोदन से की गई है।
12. सदस्यता के लिये आवेदन पत्र प्राप्त करना.
13. किसी भी व्यवहारिक (दीवानी) फौजदारी (दण्ड) राजस्व या अन्य किसी अधिकारी के न्यायालय में मामला दायर करवाना तथा उनके समक्ष होने वाली वैधानिक कार्यवाही में

पैरवी, बचाव तथा अन्य कार्यवाहियाँ करवाना तथा उन शर्तों पर जैसा कि उचित हो अधिवक्ता, कानूनी सलाहकार तथा संघ की ओर से एजेंट नियुक्त करना.

14. कर्मचारियों के स्थानातरण के आदेश प्रसारित करना.
15. व्यापक सम्मेलन, संचालक मंडल तथा अन्य समितियों की बैठकों के लिये सूचना प्रसारित करना.
16. अध्यक्ष की सहमति से अपने अधिकारों में से किसी एक या अधिकारों या कर्तव्यों को संघ के अन्य किसी अधिकारी को सौंपना.

(26) प्रोत्साहन छूट (रिबेट) :–

1. लघु वनोपजों के दोहन एवं व्यापार पर किया गया समस्त व्यय घटाने के पश्चात शुद्ध आय में से म.प्र. शासन द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों के अनुरूप वितरित/खर्च की जावेगी ।
2. लघु वनोपजों के दोहन एवं व्यापार से प्राप्त आय के अलावा संघ सदस्य सहकारी समितियों से जो भी वस्तुओं का क्रय करेगा उसका मूल्य भुगतान करेगा। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष के अंत में लाभ की स्थिति में लाभ में से प्रोत्साहन रिबेट के रूप में संघ द्वारा निर्धारित शर्तों पर उन्हें उसका भुगतान कर सकेगा ।
आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें म.प्र. भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक/विप/वनो./2012/1183 दिनांक 10.09.2012 द्वारा संशोधन किया गया है ।

(27) लेखा एवं रिकार्ड :–

1. संघ का लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा.
2. लेखा पुस्तकें, पंजियाँ तथा अन्य रिकार्ड अधिनियम, नियम एवं उपनियम व पंजीयक द्वारा निर्दिष्ट रीति से रखे जावेंगें एवं उनमें ऐसा नियमान्तर्गत सुधार किया जा सकेगा जैसा कि संचालक मंडल द्वारा आवश्यक समझा जायेगा.
3. संघ का कोई भी सदस्य कार्यालयीन समय में स्वयं या स्वयं के व्यवसाय से संबंधित प्रविष्टियों का अवलोकन कर सकेगा.
4. वर्ष के लाभ–हानि सम्पत्ति एवं दायित्व दर्शाने वाले समस्त पृथक लेखा वर्ष समाप्ति के 3 माह में तैयार किये जावेंगें एवं रजिस्ट्रार तथा अंकेक्षक को उपलब्ध कराये जावेंगें ।
5. संघ द्वारा अपने सदस्यों को 25 प्रतिशत से अधिक लाभांश रजिस्ट्रार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं दिया जा सकेगा. साधारण सभा द्वारा घोषित लाभांश यदि 6 माह तक किसी भी अंशधारी द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है तो उसे उन्हें चेक द्वारा भेज दिया जायेगा और/अथवा संघ में उनके खातों में जमा कर दिया जावेगा ।
6. आयकर अधिनियम में उल्लेखित छूट जैसे ईन्वेसमेंट अलाउंस घसारा आदि का विधिवत् प्रावधान किया जावेगा.

(28) रक्षित निधि एवं सामान्य निधि :–

1. उपनियम कमांक 30 (1) में वर्णित राशि के साथ समस्त प्रवेश शुल्क दान (किन्तु विशिष्ट उद्देश्य के प्रयोजन से प्राप्त दान को छोड़कर) अंशों के आवंटन से प्राप्त राशि एवं दण्ड शुल्क किंतु कर्मचारियों पर अधिभारित एवं प्राप्त दण्ड शुल्क को छोड़कर, समस्त राशि रक्षित निधि में ले जाई जायेगी.

2. उपनियम अनुसार किये गये प्रावधान को एवं सामान्य व्यापार से प्राप्त आय को छोड़कर अन्य आय, विभिन्न प्रावधानों एवं निधियों के आधिक्य को सामान्य निधि में ले जाया जायेगा और उसका उपयोग समय–समय पर संचालक मंडल की स्वीकृति से किया जा सकेगा.

(29) अन्य निधियॉ :–

उपनियम कमांक 28 और 30 में वर्णित निधियों को छोड़कर कोई भी अन्य निधि संचालक मंडल के निर्णय अनुसार तथा रजिस्ट्रार निर्देशानुसार शद्ध लाभ की गणना करने से पूर्व निर्मित की जावेगी.

(30) लाभ का विभाजन :–

संघ की साधारण सभा में शुद्ध लाभ को निम्नानुसार समायोजित किया जायेगा :–

1. शुद्ध लाभ का कम से कम 25 प्रतिशत रक्षित निधि में ले जाया जावेगा.
2. 25 प्रतिशत तक मूल्य घट बढ़ निधि में ले जाया जावेगा.
3. 10 प्रतिशत तक इन्वेटरी लॉस फण्ड में ले जाया जावेगा.
4. अधिनियम के अनुसार राज्य सहकारी संघ एवं अन्य शिक्षण निधियों में अभिदाय दिया जावेगा.
5. प्रदत्त अंशपूंजी पर 25 प्रतिशत तक का लाभांश वितरण किया जा सकेगा, परंतु किसी वर्ष के मामले में पंजीयक साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसी दर को 25 प्रतिशत से अधिक कर सकेगा.
6. 10 प्रतिशत सहकारी प्रचार निधियों में ले जाया जावेगा जिसका प्रयोग/सदस्यों /पदाधिकारियों/कर्मचारियों के शिक्षण प्रशिक्षण एवं विस्तार कार्यो में व्यय किया जावेगा.
7. उपरोक्त प्रावधानों के बाद शुद्ध लाभ की शेष बची राशि जो सामान्य निधि में ले जायेगी. उसका उपयोग साधारण सभा के निर्णयानुसार सदस्य सहकारी समितियों को उनके द्वारा संघ के वस्तुओं के लिये किये गए व्यवसाय के मूल्य के अनुपात में बोनस के रूप में अथवा उनके सदस्यों के वित्तीय, आर्थिक, सामाजिक कृषि विकास, वन विकास हेतु ग्रामीण क्षेत्रीय विकास व अनुसंधान एवं विकास कार्यो में उपयोग किया जायेगा.
8. कम से कम 20 प्रतिशत की राशि साधारण अंशपूंजी मोचन निधि में अंतरित की जावेगी.

(31) विवाद का निराकरण :–

इन उपविधियों की व्याख्या एवं कार्यान्वयन या संघ के व्यवसाय के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने की दशा में उसे रजिस्ट्रार को निराकरण हेतु प्रेषित किया जावेगा.

(32) उपविधियों में संशोधन :–

साधारण सभा में उपस्थित 2/3 सदस्यों के बहुमत के बिना उपविधियों में कोई परिवर्तन/निरसन/संशोधन नहीं किया जा सकेगा. साधारण सभा को दी जाने वाली

[illegible] में प्रस्तावित परिवर्तन [illegible] संशोधन के [illegible] किया जावेगा [illegible] तब तक प्रभावशील नहीं होगा जब तक कि [illegible] द्वारा उसे स्वीकृत एवं [illegible] न किया गया हो ।

(33) सूचना की विधि--

इन उपविधियों में जहां किसी सदस्य को लिखित सूचना देने की व्यवस्था हो ऐसी सूचना अधिनियम/नियम के प्रावधान अनुसार सदस्य/प्रतिनिधियों के घर पर, जहां वह सामान्यतया निवास करता हो, भेजी जावेगी ।

(34) राज्य शासन एवं रजिस्ट्रार के निर्देशों का पालन--

1. अधिनियम की धारा 49 (ग) के अनुसार लोकहित में राज्य शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का संघ पालन करेगा ।
2. संघ विनियम बनाने हेतु अधिनियम की धारा 49(ग) के अंतर्गत पंजीयक से प्राप्त निर्देशों का पालन करेगा तथा विनियमों को पंजीयक से अनुमोदित हो जाने पर अपना कामकाज ऐसे विनियमों के अनुसार करेगा ।
3. संघ म.प्र. राज्य सहकारी संघ से संबंध रहेगा तथा उसे नियमानुसार अंशदान/अभिदाय का भुगतान करेगा ।
4. संघ के लेखों का अंकेक्षण रजिस्ट्रार द्वारा अधिकृत अंकेक्षक से कराने की स्थिति में संघ निर्धारित अंकेक्षण शुल्क का भुगतान करेगा ।
5. संघ ऐसे संगठन में जिसका उद्देश्य किसी राजनैतिक दल या किसी धार्मिक आस्था को अग्रतर करता है, प्रत्यक्षता और अप्रत्यक्षता, धन के या वस्तु के रूप में अभिदाय नहीं करेगी ।
6. इन उपविधियों में जिन बातों का समावेश नहीं हुआ उन सभी बातों या विषयों में व्याख्या अधिनियमों, नियमों के प्रावधान के अनुसार की जावेगी । किसी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम होगा ।

22.

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता, म.प्र.

मध्य प्रदेश शासन,
सहकारिता विभाग,
मंत्रालय.

भोपाल, दिनांक 16/1/2002

क्रमांक: एफ- 5-12/2000/15-1

प्रति,

(1) पंजीयक,
सहकारी संस्थाएँ,
मध्यप्रदेश भोपाल.

(2) संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक (समस्त),
सहकारी संस्थाएँ,
मध्य प्रदेश.

विषय:- मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अन्तर्गत प्राथमिक लघु वनोपज समितियों/जिला वनोपज यूनियनों के सेवा संबंधी विवादों तथा व्यवसायिक विवादों की सुनवाई.

राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत लघु वनोपज सहकारी समितियों/जिला सहकारी लघु वनोपज संघों के कर्मचारियों के सेवा संबंधी विवादों तथा व्यवसायिक विवादों की सुनवाई के अधिकार वन विभाग के जिला अधिकारी (वन मंडल अधिकारी) जो उक्त संस्थाओं से किसी तरह संबद्ध न हों, को प्रदान किये जाये।

अतः राज्य शासन एतद् द्वारा यह निर्देश देता है कि लघु वनोपज सहकारी समितियों, जिला लघुवनोपज संघों के सेवा संबंधी विवाद तथा व्यवसायिक विवादों की सुनवाई सहकारिता विभाग के अधिकारियों द्वारा न की जावे। इस प्रकार के प्रकरण प्राप्त होने पर उन्हें मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-64 के तहत उप/सहायक पंजीयक द्वारा पंजीकृत किया जावे तथा तत्पश्चात उन्हें अधिनियम की धारा-68(1) के तहत जिले के उस वनमंडलाधिकारी को हस्तांतरित कर दिया जावे जो कि उक्त संस्थाओं से किसी तरह संबद्ध न हो। यह अधिकारी इन प्रकरणों की विधिवत आगे सुनवाई कर प्रकरण का विनिश्चय करेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार,

(ओ0 पी0 रावत)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग.

म.प्र. राज्य लघु वनोपज ... सं. मर्या.
[illegible]

पृ०क्रमांक एफ 5-2/2000/15-1 भोपाल, दिनांक 16/11/2001

प्रतिलिपि:-

[1] अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, पुराना विधान सभा सचिवालय, भोपाल.

[2] प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
वन विभाग.

[3] प्रबंध संचालक,
म0प्र0राज्य सहकारी लघु वनोपज संघ, भोपाल.

[4] कलेक्टर [समस्त] म0प्र0.

[5] वनमंडल अधिकारी [समस्त] म.प्र.

अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, सहकारिता विभाग

कार्यालय म0प्र0राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्या.
खेल परिसर, 74 बंगले, भोपाल।

क्रमांक/वनो/सह./2002/ 1326 भोपाल, दिनांक 30.1.2002

प्रतिलिपि:-

1. वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबन्धक, समस्त, मध्य प्रदेश

2. समस्त वन मंडलाधिकारी एवं पदेन प्रबन्ध संचालक, जिला वनो. सहकारी यूनियन, मध्य प्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

कार्यकारी संचालक [व्या